न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

1. जोताराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी,
   (प्रबन्धक)

फर्मः– मां आशापुरा मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11, जेल रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही
निवासी– 587, रेबारी वास, रामपुरा, तहसील व जिला–सिरोही

2. खीमाराम पत्र श्री निम्बानराम देवासवी,
   (खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः– मां आशापुरा मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11, जेल रोड़, सिरोही, जिला– सिरोही
निवासी– वार्ड नं. 06, मुकाम पोस्ट, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही

3. मैसर्स श्री ममता मिल्क डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, पताः 1161, हनुमानगढ़, फौजी रोड़, पहाडपुरा, एन.एच. 15 के पास, सांचोर, जिला– जालोर

F.S.S.Act Case No. 54/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 24 सितम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 26–4–2025 को मैसर्स मां आशापुरा मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11 जेल रोड, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जोताराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी, प्रबन्धक, मैसर्स मां आशापुरा मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11, जेल रोड़, सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) का नमूना संख्या S-2637 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./517/Act/2025/517 दिनांक 14–5–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नोटिस की व्यक्तिशः तामिल होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 (मैसर्स श्री ममता मिल्क डेयरी प्रा0 लि0, पताः 1161, हनुमानगढ़, फौजी रोड़, पहाडपुरा, एन.एच. 15 के पास, सांचोर) को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी नियत सुनवाई तिथि 10–9–2025 को उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 24–9–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत भी उपस्थित हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 26–4–2025 को 04–20 पी.एम. पर खाद्य ... के निरीक्षण हेतु मैसर्स मां आशापुरा

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11, जेल रोड़, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रबन्धक की हैसियत से जोताराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मां आशापुरा मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11, जेल रोड़, सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स मां आशपुरा मिल्क पार्लर की दुकान के अन्दर डीप फ्रीजर में आमजन को बिक्री हेतु खाद्य पदार्थ दही (ममता ब्राण्ड) के 40 पीस/पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता/प्रबन्धक जोताराम पुत्र निम्बाराम देवासी को गवाह श्री खीमाराम पुत्र निम्बाराम देवासी, ग्राम रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही एवं श्री कमलेश कुमार आर्य, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स मां आशापुरा मिल्क पार्लर की दुकान के अन्दर डीप फ्रीजर में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ दही (ममता ब्राण्ड) के 40 पीस/पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ दही (ममता ब्राण्ड) के 4 पीस/पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 60/– (रुपये साठ मात्र) प्रतिवादी प्रबन्धक जोताराम पुत्र निम्बाराम देवासी को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2637, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ दही (ममता ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी प्रबन्धक जोताराम पुत्र निम्बाराम देवासी व उक्त गवाह श्री खीमाराम पुत्र निम्बाराम देवासी व श्री कमलेश कुमार आर्य के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) के 4 पैक्ड पीस/पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा दही (ब्राण्ड ममता) के चारों नमूना पीस/पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता जोताराम पुत्र निम्बाराम् देवासी तथा उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जोताराम पुत्र निम्बाराम देवासी व उक्त गवाहों तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 28–4–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 26–4–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मां आशापुरा मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11, जेल रोड़, सिरोही में प्रतिवादी प्रबन्धक जोताराम पुत्र निम्बाराम देवासी से खाद्य पदार्थ दही (ममता ब्राण्ड) (प्रत्येक 200 एम.एल. के पैक्ड पीस/पैकेट) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) के नमूना संख्या S-2637 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./517/Act/2025/517 दिनांक 14—5—2025 में खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की फर्म मैसर्स मां आशापुरा मिल्क पार्लर, दुकान नं. 11, जेल रोड़, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) के 200—200 एम.एल. के पैकेट पीस/पैकेटों को फर्म श्री ममता मिल्ड डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, 1161, हनुमानगढ, फौजी रोड़, पहाडपुरा, नेशनल हाइवे नं. 15 के पास, सांचोर, जिला— जालोर से जरिये बिल इनवोईस नम्बर MMRC/155 दिनांक 25—4—2025 से क्रय किया है जो खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) की निर्माता व पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उस खाद्य पदार्थ के निर्माता एवं पैकर उत्तरदायी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि मैसर्स श्री ममता मिल्क डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, पताः 1161, हनुमानगढ, फौजी रोड़, पहाडपुरा, नेशनल हाईवे नं. 15 के पास, सांचोर, जिला— जालोर द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ दही (ब्राण्ड ममता) (नमूना संख्या S-2637) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादीा फर्म, मैसर्स श्री ममता मिल्क डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, पताः 1161, हनुमानगढ, फौजी रोड़, पहाडपुरा, नेशनल हाईवे नं. 15 के पास, सांचोर, जिला— जालोर पर राशि रुपये 25,000/— (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी फर्म, मैसर्स श्री ममता मिल्क डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, पताः 1161, हनुमानगढ, फौजी रोड़, पहाडपुरा, नेशनल हाईवे नं. 15 के पास, सांचोर, जिला— जालोर के नॉमिनी/प्रोपराईटर/संचालक को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय/आदेश सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Goyal
Date: 2025.10.17 12:41:28 IST
Reason: SelfAttested